न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश अ0जा0/अ0ज0जा0 (अ0नि0) प्रकरण,टोंक

पीठासीन अधिकारी	:	आरती माहेश्वरी, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश सवंर्ग)
निर्णय दिनांक	:	27.07.2026
सेशन प्रकरण संख्या	:	128/2019
C.I.S. No.	**:**	**146/2019**

अपराध धारा 376(2)(एन), 450, 506 भारतीय दंड संहिता
व धारा 3(2)(v), 3(1)(w)(i) SC/ST Act

परिवादी	**राजस्थान राज्य**
पेशकर्ता/अधिवक्ता परिवादी	**विशिष्ट लोक अभियोजक श्री मेघराज जाट**
अभियुक्त	**नरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी पीपलदा, थाना मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा**
अधिवक्ता अभियुक्त	**श्री शिवराज चांगल**
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	**14.06.2019**
आरोप पत्र पेश करने की तिथि	**06.11.2019**
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	**09.12.2019**
साक्ष्य प्रारंभ करने की तिथि	**07.02.2020**
निर्णय की तिथि	**27.07.2026**
दंडादेश, यदि कोई हो, तो तिथि	**---------**

अभियोजन साक्षीगण की सूची :-

क्र. सं.	नाम गवाह	पी.डब्ल्यू
1	पीड़िता	पी.डब्ल्यू 1
2	बनवारी	पी.डब्ल्यू 2
3	अमरदीप	पी.डब्ल्यू 3
4	भंवरलाल	पी.डब्ल्यू 4
5	डॉ0 शबा	पी.डब्ल्यू 5
6	प्रभुसिंह	पी.डब्ल्यू 6
7	डॉ0 शिशिर	पी.डब्ल्यू. 7

8	राजेश	पी.डब्ल्यू 8
9	रामगोपाल	पी.डब्ल्यू 9
10	सौरभ	पी.डब्ल्यू. 10
11	रामकल्याण	पी.डब्ल्यू. 11

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए :-

क्र. सं.	दस्तावेज का विवरण	प्रदर्श
1	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी 1
2	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी 2
3	नक्शा मौका	प्रदर्श पी-3
4	फर्द जब्ती लहंगा	प्रदर्श पी-4
5	मेडिकल रिपोर्ट	प्रदर्श पी-5
6	जाति प्रमाण-पत्र	प्रदर्श पी-6
7	बयान 164 सीआरपीसी	प्रदर्श पी-7
8	पुलिस बयान गवाहान	प्रदर्श पी-8 व 9
9	एफएसएल रिपोर्ट	प्रदर्श पी-10
10	फर्द गिरफ्तारी	प्रदर्श पी-11
11	फर्द जब्ती अंडरवीयर मुलजिम	प्रदर्श पी-12
12	मेडिकल रिपोर्ट मुलजिम	प्रदर्श पी-13
13	एफएसएल प्राप्ति रसीद	प्रदर्श पी-14
14	मालखाना रजिस्टर की प्रति	प्रदर्श पी-15ए
15	माल बाबत तहरीर	प्रदर्श पी-16 व 17
16	एफएसएल रिपोर्ट	प्रदर्श पी-18
17	मकान के कागजात	प्रदर्श पी-19

।। नि र्ण य ।। दिनांक : **27.07.2026**

1. यह प्रकरण धारा **376(2)(n)** भारतीय दण्ड संहिता से संबंधित है, इसलिये भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228(ए) के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए और पीड़िता को उक्त अपराध के सामाजिक शिकार से रोकने के लिए एवं सामाजिक बहिष्कार से बचाने के लिए माननीय उच्चतम

न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त ***State of Himachal Pradesh Vs. Hukum Chand @ Monu, Date of Judgement 24.03.2026*** में पारित दिशा–निर्देशों के अनुसार अभियोक्त्री/पीड़िता को स्वयं के नाम से संबोधित नहीं किया जा रहा है बल्कि उसके स्थान पर पीड़िता के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़िता ने एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली टोंक में दिनांक 14.06.2019 को इस आशय की पेश की कि प्रार्थीया का पति कारीगर है। उसके साथ मजदूरी का कार्य करती है। प्रार्थीया के पति ने गजेन्द्र से निर्माण कार्य का ठेका लिया था जिस पर कार्य करने जाती थी जो दरबार स्कूल टोंक है। वहां पर मुनीम नरेन्द्र की पारिवारिक, सामाजिक पृष्ठभूमि तथा जाति के बारे में भली–भांति जानता है जिसने आज से नौ–दस माह पूर्व प्रार्थीया घर पर मेहन्दी बाग में अकेली थी, मकान मालिक बाहर गया हुआ था। दोपहर 2–3 बजे घर पर आया और प्रार्थीया के पति को जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थीया की इच्छा के विपरीत सम्मति के बिना बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर सम्मति लेकर भय में डालकर जबरदस्ती बलात्कार किया और घर वालों व किसी अन्य को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी फिर वह आए दिन जबरदस्ती बलात्कार करता आ रहा है। प्रार्थीया के पति ने उक्त निर्माण कार्य मार्च 2019 में खत्म कर गांव चले गए जहां पर प्रार्थीया ने भयमुक्त होकर सारी बात बताई। वहां पर यह निरंतर मोबाइल पर धमकी देता जिस पर इसने शपथ–पत्र लिखकर दिया कि आयन्दा परेशान नहं करेगा किंतु यह अब रोज जान से मारने की धमकी दे रहा है। कह रहा हे कि मेरे साथ यौन संबंध बना, नहीं तो सबको मार दूंगा। पुलिस थाना टोडारायसिंह में भय की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला है तथा कमजोर व निर्धन है जबकि नरेन्द्र सवर्ण जाति का दबंग व्यक्ति है जिसने पुलिस कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी है आदि–आदि।

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली टोंक में प्रकरण संख्या 256/2019 अंतर्गत धारा 376, 384 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(w)(ii) SC/ST Act में मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया एवं बाद अनुसंधान प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा

376(2)(एन), 450, 506 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(w)(i)(ii), 3(2)(v) SC/ST Act में आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

4. न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 376(2)(एन), 450, 506 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(w)(i), 3(2)(v) SC/ST Act में पृथक से आरोप विरचित कर सुनाये समझाये गये। सुन समझ कर अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले की पुष्टि में कुल 11 गवाहान को मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया तथा कुल 19 दस्तावेजात को प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया।

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्त को धारा 313 जाप्ता फौजदारी के तहत परीक्षित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा प्रतिरक्षा में कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की।

7. बहस अंतिम उभय पक्षकारान की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. **प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि :–**

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.06.2019 से 10 माह पूर्व दिन में 2–3 बजे के गलभग मेहन्दी बाग टोंक में स्थित परिवादिया के किराये के कमरे पर तथा उसके बाद कई बार पीड़िता की इच्छा व सहमति के बिना बार–बार जबरन बलात्संग किया, उक्त अपराध कारित करने के आशय से उसके घर में प्रवेश कर आपराधिक गृह अतिचार कारित किया, उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया व उक्त समस्त लैंगिक कृत्य इस आशय से किया कि पीड़िता एक अनुसूचित जाति की महिला है ?

–यदि हां तो अभियुक्त का उचित दण्ड क्या होगा ?

9. उपरोक्त अवधार्य प्रश्न के निस्तारण हेतु पत्रावली पर आई साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण करें तो हस्तगत प्रकरण पीड़िता द्वारा दर्ज रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के आधार पर दर्ज हुआ है जिसने पी.ड.1 के रूप में अपने मुख्य

परीक्षण में यह अभिसाक्ष्य दी है कि आज से आठ–नो महीने पहले मेरे पति ने दरबार स्कूल टोंक में कमरे बनाने का ठेका बन्ना जी से लिया था। मैं भी मेरे पति के साथ स्कूल में बेलदारी करने के लिए जाती थी तथा और भी 20–25 बेलदार व कारीगर काम करने के लिए आते थे। काम को नरेन्द्र सिंह देखता था जो भीलवाड़ा का रहने वाला है। हम उस समय मेहंदीबाग में अमरजी के मकान में रहते थे। उस समय मेरा पति किशनपुरा में दूसरी साईड ले रखी थी। आज से आठ–नो महीने पहले की बात है। मेरा पति उस समय किशनपुरा गांव में साइट पर गया हुआ था। मैं उस समय मेरे मकान पर थी। दिन के 1–2 बजे का समय था। मैं घर पर बैठी हुई थी। फिर नरेन्द्र सिंह वहां पर आया और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी डेढ हाजरी लगाता हूं। तुम मुझे आधी हाजरी के पैसे दिया करो। हमने उसको पैसे नहीं दिये थे। वो हमें परेशान करने लग गया और यह बात मैंने अपने पति को शाम को उनके आने पर बताई और कहा कि नरेन्द्र सिंह मेरे से आधी हाजरी के पैसे मांगता है और वो दिन में घर पर आया था। उस दिन मेरे साथ नरेन्द्र सिंह ने और कोई बात नहीं की थी। फिर हम लोग हमारे गांव चले गये थे, फिर भी नरेन्द्र सिंह फोन करके मेरे पति को कहता था कि मुझे पैसे दे फिर नरेन्द्र सिंह नहीं माना तो हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। **नरेन्द्र सिंह जिस दिन हमारे घर पर आया था उस दिन कोई बलात्कार वगैरह नहीं किया था।** हमने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी वो प्रदर्श पी–1 है, चाकशुदा एफ आई आर प्रदर्श पी–2 ह, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 है, फर्द जब्ती लंहगा व एक लेडिज अंडरवियर प्रदर्श पी–4 है। मेरा बलात्कार बाबत मेडिकल मुआयना हुआ था जो प्रदर्श पी–5 है। मेरा असल जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–6 है। मेरे कोर्ट में धारा 164 सीआरपीसी के बयान हुए थे जो प्रदर्श पी–7 है। चेपा पर्ची प्रदर्श पी–10, अंडरवीयर आर्टिकल–1 व घाघरा आर्टिकल–2 है। **यह साक्षिया पक्षद्रोही घोषित हुई है।** विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में पीड़िता ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 के लगभग सभी महत्वपूर्ण भागों को गलत होना कथन किया है तथा यह कथन किया है कि **मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ।** बचाव पक्ष द्वारा उक्त गवाह से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

10. अभियोजन साक्षी **पी.ड.6 बनवारी** ने कथन किया है कि मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ। मेरी पत्नी पीड़िता है, जो भी मजदूरी का काम करती है। मैंने दरबार स्कूल टोंक में कमरे व हॉल बनाने का ठेका गजेन्द्र सिंह से लिया था, जिसकी मैंने पांच सो रूपयें के स्टाम्प पर लिखापढ़ी करवाई थी। दरबार स्कूल के निर्माण कार्य को गजेन्द्र सिंह का मुनीम नरेन्द्र सिंह संभालता था। नरेन्द्र सिंह दरबार स्कूल में ही रहता था। आज से एक–डेढ़ साल पहले की बात है। मैं और मेरी पत्नी मेहंदी बाग में अमर जी के मकान में किराये से रहते थे। मेरे बच्चे गांव में ही रहते है। उस समय मैंनें किशनपुरा गांव में भी निर्माण कार्य का ठेका ले रखा था। उस दिन मैं किशनपुरा गांव में गया हुआ था। नरेन्द्र सिंह मेरी पत्नी को उसके मोबाइल नंबर पर पैसे को लेकर परेशान करता था। मुझे मालूम चलने पर मैंनें नरेन्द्र सिंह को बार–बार फोन करने का ओलमा दिया। नरेन्द्र सिंह ने मुझसे कहा कि अब फोन नहीं करूंगा। फिर हमारे फोन करने की बात को लेकर इकरारनामा लिखा गया था जिसमें भविष्य में फोन नहीं करने की बात बाबत् लिखा गया था। पीड़िता ने मुझे दो–तीन दिन बाद पैसों की बात के बारे में ही बताया था। **मुझे मेरी पत्नी ने नरेन्द्र सिहं द्वारा बलात्कार करने बाबत कुछ भी नहीं बताया था। नरेन्द्र सिंह मेरी पत्नी के पास बार–बार हाजरी के पैसे को लेकर फोन करता था इसी बात को लेकर मैंनें रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।** रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 है जिस पर सी से डी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। चाक एफ आई आर प्रदर्श पी–2 है जिस पर भी सी से डी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरी पत्नी पीड़िता के कपड़े जप्त किये थे जिसकी फर्द जप्ती बनाई थी जो प्रदर्श पी–4 है जिस पर सी से डी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। **यह साक्षी भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है** तथा विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–9 के लगभग सभी महत्वपूर्ण भाग को पुलिस को नहीं देना कथन किया है। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि **मुलजिम नरेन्द्र ने मेरी पत्नी के साथ कोई बुरा काम व बलात्कार नही किया है। नरेन्द्र सिर्फ हाजरी के पैसे मांगने की बात को लेकर ही मेरी पत्नी के पास फोन करता था और इसी बात को लेकर हमने मुकदमा दर्ज करवाया था।**

11. गवाह **पी.ड.3 अमरदीप** ने अभिसाक्ष्य दी है कि मेरा मकान मालियों की गली, मेहंदीबाग, टोंक में स्थित है, जिसमें मैं द्वितीय फ्लोर पर अपने परिवार सहित रहता हूॅ। मैंनें मेरे मकान में 15.08.2018 को नीचे वाले पोर्शन में एक कमरा किराये से दिया था। बनवारी स्कूल में काम करता था। उक्त कमरें में दोनों पति–पत्नी रहते थे। पत्नी का नाम आशा था। वहां पर उक्त दोनों 05.03.2019 तक रहे थे। वर्ष 2019 में पुलिस वालें मेरे घर पर आये थे और घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी–3 है जिस पर ई से एफ स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। नक्शा मौका आशा के साथ हुये बलात्कार बाबत् बनाया था। **प्रतिपरीक्षण** में यह स्वीकार किया है कि **मेरे मकान में बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई थी।**

12. गवाह **पी.ड.5 डॉ0 शबा** ने अभिसाक्ष्य दी है कि दिनांक 14.06.2019 को मैं राजकीय सआदत अस्पताल टोंक में मैं चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। उस दिन थाना कोतवाली की प्रार्थना पर पीडिता आशा का रैप बाबत् मेडिकल मुआयना करने बाबत् पीएमओ साहब द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था जिसमें मैं व मेरे अलावा डॉ0 बीएल मीणा बोर्ड के सदस्य थे। पीडिता के चार सैंपल लिये गये थे। 01. सुखी गॉज पर थूक का सैंपल, 02. गॉज पीस पर खून का सैंपल, 03. दो कांच की स्लाईड व वैजाईनल स्मेयर, 04. दो कॉटन लगी स्टिक पर वेजाईनल स्वॉब के सैंपल लेकर सील मोहर कर पुलिसकर्मी को एफएसएल जांच हेतु सौंपा था। हमारे मेडिकल बोर्ड की राय एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही दिया जाना पाया था। मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी–5 है। मूल एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 है। **प्रतिपरीक्षण** में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि **मेडिकल के दौरान पीड़िता के जननांगों पर कोई आंतरिक व बाहरी चोट नहीं पाई गई और ताजा संभाग के कोई निशानात मौजूद नहीं थे।**

13. अभियोजन साक्षी **पी.ड.7 डॉ0 शिशिर हाडा** ने अभिसाक्ष्य दी है कि दिनांक 01.09.2019 को चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोंक में कार्यरत था। उस दिन नरेन्द्र का पुरुषत्व बाबत मेडिकल मुआयना किया जो प्रदर्श पी–13 है। मैंने परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया कि वह संभोग करने में असमर्थ हो।

14. अभियोजन साक्षी **पी.ड.4 भंवरलाल** ने अभिसाक्ष्य दी है कि दिनांक 19.06.2019 को मैं वृत कार्यालय टोंक में हैड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। श्रीमान् डीवाई एसपी टोंक द्वारा पीडिता आशा का एक लंहगा व एक लेडिज अंडरवियर जप्त कर फर्द जप्ती बनाई थी जो मेरे सामने बनाई थी जो प्रदर्श पी-4 है जिस पर ई से एफ स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है। पार्चेजात को सील्ड मोहर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्का ए अंकित किया था।

15. अभियोजन साक्षी **पी.ड.6 प्रभुसिंह** ने अभिसाक्ष्य दी है कि फर्द गिरफ्तारी मुलजिम नरेन्द्र प्रदर्श पी-121 व फर्द जब्ती अंडरवीयर प्रदर्श पी-12 पर मेरे हस्ताक्षर हैं। **प्रतिपरीक्षण** में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि **अंडरवीयर पर किसी प्रकार का कोई मानव वीर्य जैसा दाग धब्बा नहीं था।**

16. गवाह **पी.ड.8 राजेश** ने अभिसाक्ष्य दी है कि दिनांक 03.10.2019 को मैं थाना कोतवाली में कांस्टेबल था। उस दिन मालखाना से 5 सीलशुदा पैकेट एफएसएल में जमा कराने लेकर गया व माल जमा कराकर रसीद वापस मालखाना इंचार्ज को जमा कराई जो प्रदर्श पी-14 है।

17. अभियोजन साक्षी **पी.ड.9 रामगोपाल** ने अभिसाक्ष्य दी है कि दिनांक 19.06.2019 को थाना कोतवाली में मालखाना इंचार्ज के पद पर था। उस दिन मुकदमा नंबर 256/19 में जब्तशुदा माल लहंगा व लेडिज अंडरवीयर पुरानी इस्तेमाली, एक सीलशुदा लिफराफा पीले रंग का जिसमें पीड़िता के वेजाइनल स्लाइड स्लावा व एक पीला लिफाफा एफटीए के सीलशुदा प्रभुसिंह एएसआई ने जमा करवाया जिसे हिम्मत सिंह कांस्टेबल ने लाकर जमा करवाया। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-15, इसकी प्रति प्रदर्श पी-15ए है।

18. अभियोजन साक्षी **पी.ड.10 सौरभ तिवारी** ने अभिसाक्ष्य दी है कि दिनांक 03.10.2019 को मैं सीओ टोंक के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या 256/19 थाना कोतवाली की पत्रावली मुझे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान गवाह रामगोपाल व राजेश के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। जैविक प्रदर्शो को एफएसएल जयपुर में जमा कराए जाकर शामिल पत्रावली की। एफएसएल रसीद प्रदर्श पी-14 है।

मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–15ए है। एफएसएल नतीजा पेश करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–16 व पी–17, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 है। पीड़िता व अभियुक्त के जैविक प्रदर्शों के संबंध में एफएसएल नतीजा रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 है। बाद अनुसंधान अभियुक्त नरेन्द्र के विरुद्ध आरोप प्रमाणित मानकर चालान पेश करने हेतु पत्रावली एसएचओ को प्रेषित की। **प्रतिपरीक्षण** में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि

19. अभियोजन साक्षी **पी.ड.11 रामकल्याण** ने अभिसाक्ष्य दी है कि मै दिनांक 15.06.2019 को वृताधिकारी टोंक के पद पर पदस्थापित था उस दिन मुकदमा नम्बर 256/2019 की पत्रावली मुझे अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी मेरे द्वारा अनुसंधान के दौरान पीडीता आशा, गवाह बनवारीलाल, गवाह अमरदीप, भगवान, धीरज, हीरालाल, के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। पीडिता आशा के बयान 164 धारा सीआरपीसी में माननीय न्यायालय में लेखबद्ध करवाये गये थे जो प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी पीडिता आशा के हस्ताक्षर है। पीडिता की निशादेही से घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी 3 है। पीडिता द्वारा वक्त घटना पहने हुए एक लहंगा व एक अण्डरवीयर मेरे समक्ष पेश किये जाने पर जरिये फर्द जप्ती जप्त किये गये थे जो प्रदर्श पी 4 है। दौराने अनुसंधन पीडिता का का मेडिकल करवाया था जो शामिल पत्रावली है जो प्रदर्श पी 5 है। पीडिता द्वारा पेश जाति प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 6 है। प्रकरण की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है। मुल्जिम नरेन्द्र सिंह के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से जरिये फर्द गिरफतार किया गया था जो प्रदर्श पी 11 है। मुल्जिम की वक्त घटना पहनी हुई एक अण्डरवीयर जरिये फर्द जप्ती जप्त की गई थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 12 है। गिरफ्तार मुल्जिम नरेन्द्र सिंह का मेडिकल परीक्षण पुरूषत्व बाबत् करवाया गया जो प्रदर्श पी 13 है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 15ए है। घटनास्थल के मकान मालिक अमरदीप से मकान के मालिकाना हक संबधी रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति पेश करने पर मेरे द्वारा शामिल पत्रावली की गई थी जो प्रदर्श पी 19 है। पीडिता के धारा 161 द.प्र.स के बयानों की वीडियोग्राफी करवाई गई थी जिसकी सीडी आर्टिकल 3 है। चेपा पर्ची प्रदर्श पी–10 व पी–20 हैं। अण्डरवीयर आर्टिकल 1 व घाघरा आर्टिकल 2 है।

मुल्जिम नरेन्द्र सिंह की अण्डरवीयर आर्टिकल 4 है। प्रकरण में अंतिम नतीजा अर्न्तगत धारा 376 (2)(n) 450, 506 भा.द.स. व धारा 3(1)(w)(i)(ii), 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट में चार्जशीट कता कर श्री विजय शंकर शर्मा तत्कालीन एसएचओ के द्वारा पेश किया गया। जिस पर ए से बी एसएचओ विजय शंकर के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर मैं पहचानता हूॅं। प्रकरण में मेरे अनुसंधान से मुल्जिम नरेन्द्र सिंह के विरूद्ध अपराध धारा 376, 384, भा. द.स व 3 एससीएसटी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया। प्रकरण की पत्रावली मेरा स्थानान्तरण हो जाने से अग्रिम अनुसंधान श्री सौरभ तिवारी जी को सुपुर्द की गई थी। **प्रतिपरीक्षण** में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि **पीड़िता ने घटना प्रकरण दर्ज कराने के 9–10 महीने पूर्व की होना बताया है। रिपोर्ट घटना के 9–10 महीने बाद दर्ज करवाई थी।**

20. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही दिनांक 6 फरवरी, 2026 को पारित न्यायिक दृष्टांत क्रिमीनल अपील संख्या 508/2004 सूरज कुमार बनाम राज्य वाले मामले में पैरा संख्या 14 में यह व्यवस्था दी है कि :–

> ***"14. The ultimate test of acceptability of testimony of the witnesses being creditworthiness, credibility and truthfulness. If the testimony of the witnesses is apparently, creditworthy and reliable, free from any blemish, then in that case, the witnesses can be relied upon, irrespective of the relationship of the witness with the victim. Reference in this context can be made to the judgment in Alamgir vs. State (NCT of Delhi), AIR 2003 SC 282 and Fizaquat Ali vs. State & Anr., 2013 VII AD (Delhi) 569."***

21. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त ***संतोष प्रसाद उर्फ संतोष कुमार बनाम बिहार राज्य 2020(1) क्रिमीनल 634 सुप्रीम कोर्ट*** वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :–

> "***Indian penal Code, 1860- Section 376(1) and 450- Criminal Procedure code, 1973- Section 374 Rape Conviction on the basis of statement of prosecutrix only- Validity- Held- To base conviction only on the statement of prosecutrix under Section 376 of IPC, evidence of prosecutrix must be***

examined as that of an injured witness whose presence at the spot is probable but it can never be presumed that her statement should, without exception be taken as gospel truth."

"In the case of Krishna Kumar Malik Vs State of Haryana, (2011) 7 it is observed and held by the Court that no doubt, it is true that to hold an accused guilty for commission of an offence of rape, <u>the solitary evidence of the prosecutrix is sufficent provided the same inspires confidence and appears to be absolutely trustworthy, unblemished and should be of sterling quality.</u>"

22. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्याय दृष्टांत में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि – ***"बलात्कार का अपराध एक घृणित अपराध है जो कि ना केवल स्त्री के शरीर के विरूद्ध अपराध है बल्कि समाज के प्रति भी अपराध है। अतः ऐसी स्थिति में पीड़िता की एकल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। अन्य साक्ष्य से पीड़िता की साक्ष्य की सम्पुष्टि आवश्यक नहीं है लेकिन जहाँ मात्र पीड़िता की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना है, तब पीड़िता की साक्ष्य निष्पक्ष, विसंगतियों से अपूर्ण व सत्यता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिये। पीड़िता की साक्ष्य में ऐसे विरोधाभास ना हों जिससे परिस्थितियाँ असंभव प्रतीत होती हों।***

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के प्रकाश में यदि हस्तगत मामले के तथ्यों पर विचार करें तो हस्तगत प्रकरण में प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण गवाह पीड़िता पी.ड.1 पूर्णरूपेण पक्षद्रोही घोषित हुई है तथा अभियुक्त द्वारा उसकी इच्छा व सहमति के बिना जबरन बलात्संग किए जाने के संबंध में लेशमात्र भी अभिसाक्ष्य नहीं दी है अपितु अपने मुख्य परीक्षण में ही यह कथन किया है कि **उस दिन नरेन्द्र सिंह ने मेरे साथ और कोई बात नहीं की थी। नरेन्द्र सिंह फोन करके मेरे पति को कहता था कि मुझे पैसे दे फिर नरेन्द्र सिंह नहीं माना तो हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी। नरेन्द्र सिंह जिस दिन हमारे घर पर आया था उस दिन कोई बलात्कार वगैरह नहीं किया था।** पीड़िता ने विशिष्ट लोक

अभियोजक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, धारा 164 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श पी–7 आदि में अंकित तथ्यों की भी पुष्टि नहीं की है तथा पुलिस के कहने से रिपोर्ट दर्ज कराना कथन किया है जिससे पीड़िता की अभिसाक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों की लेशमात्र भी पुष्टि नहीं होती है।

24. इसी प्रकार प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.2 बनवारी जो कि पीड़िता का पति है, भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा उक्त गवाह ने भी अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ किसी प्रकार का कोई बलात्कार आदि किए जाने अथवा ऐसी कोई बात अपनी पत्नी द्वारा स्वयं को बताए जाने से स्पष्ट तौर पर इनकार किया है जिससे उक्त गवाह के कथनों से भी अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं होती है। अन्य गवाह पी.ड.3 अमरदीप ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मेरे मकान में बलात्कार जैसी कोई घटना कारित नहीं हुई थी जिससे उक्त साक्षीगण की अभिसाक्ष्य से भी अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं होती है।

25. अब यदि पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सकीय व तकनीकी साक्ष्य का अवलोकन करें तो चिकित्सकीय साक्षी पी.ड.5 डॉ0 शबा ने स्पष्ट रूप से प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पीड़िता के जननांगों पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं पाई गई तथा ताजा संभोग के कोई निशानात मौजूद नहीं थे। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–18 के अनुसार भी पीड़िता के वेजाइनल स्वाब में पाया गया डीएनए अभियुक्त के रक्त के डीएनए से मिलान होना नहीं पाया गया है तथा इसी प्रकार पीड़िता की अंडरवीयर पर भी अभियुक्त के मानव वीर्य का डीएनए होना नहीं पाया गया है। इस प्रकार चिकित्सकीय व तकनीकी साक्ष्य से भी पीड़िता के साथ बलात्संग का अपराध कारित किए जाने की पुष्टि नहीं होती है।

26. यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.06.2019 को दर्ज कराई गई है तथा उक्त रिपोर्ट में घटना 8–9 माह पूर्व की बताई गई है। घटना की कोई निश्चित तिथि, दिन, दिनांक, वार, महीना आदि का अंकन नहीं किया गया है जबकि बलात्कार

जैसे गंभीर अपराध के मामले में घटना की तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराया जाना एक सामान्य व स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो कि अभियोजन के संपूर्ण मामले को संदिग्ध बना देता है।

27. ऊपर किए गए उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार हस्तगत प्रकरण में घटना की कोई निश्चित तिथि, वार, दिनांक, महीना आदि अंकित नहीं किया गया है तथा रिपोर्ट घटना के 8-9 माह बाद अप्रत्याशित रूप से देरीना दर्ज कराई गई है जिस देरी का कोई स्पष्टीकरण भी अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रकरण की पीड़िता द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं द्वारा दर्ज रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 व धारा 164 सीआरपीसी के कथन प्रदर्श पी-7 के विपरीत कथन करते हुए अभियुक्त द्वारा स्वयं के साथ किसी प्रकार का कोई बलात्कार किए जाने की अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की है अपितु अभियुक्त द्वारा पैसों को लेकर फोन करने के कारण यह प्रकरण दर्ज कराना कथन किया है। इसके अतिरिक्त पीड़िता ने अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई मारने की धमकी दिए जाने बाबत भी कोई अभिसाक्ष्य नहीं दी है जिससे अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ उसकी इच्छा व सहमति के बिना जबरन बलात्संग किए जाने व इस हेतु उसके किराये के मकान में प्रवेश कर आपराधिक अतिचार करने तथा पीड़िता व उसके परिवार को मारने की धमकी दिए जाने के आरोप धारा 376(2)(एन), 450, 506 भारतीय दंड संहिता के अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाए जाते हैं।

28. जहाँ तक अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 3(1)(w)(i), 3(2)(v) SC/ST Act के गठन का प्रश्न है, प्रकरण की समस्त परिस्थितियों एवं तथ्यों से यह प्रकट तथ्य है कि उक्त अपराध भी अभियोजन पक्ष द्वारा आक्षेपित अपराधों की तारतम्यता में ही घटित अपराध है और उपरोक्त समग्र विवेचन के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित अपराध धारा 376(2)(n), 450, 506 भारतीय दंड संहिता को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध अपराध धारा 3(1)(w)(i), 3(2)(v) SC/ST Act भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित माने जाने बाबत पत्रावली पर कोई सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है।

29. उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त **नरेन्द्र सिंह** के

विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 376(2)(n), 450, 506 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(w)(i), 3(2)(v) SC/ST Act युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को उक्त आरोपित अपराधों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आ दे श

30. परिणामतः अभियुक्त **नरेन्द्र सिंह** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 376(2)(n), 450, 506 भारतीय दंड संहिता व धारा 3(1)(w)(i), 3(2)(v) SC/ST Act में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जमानत व मुचलके निरस्त किए जाते हैं। इस प्रकरण में मामले की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये धारा 396 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत कोई आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः धारा 396 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है। प्रकरण में दौराने अनुसंधान यदि कोई माल जब्त किया गया हो, तो बाद गुजरने मियाद अपील, अपील न होने की अवस्था में नियमानुसार नष्ट किया जावे। अपील होने की अवस्था में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे। अपील की अपेक्षा के अध्याधीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु अभियुक्त राशि 20,000/- रूपये का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

(आरती माहेश्वरी)
विशिष्ट न्यायाधीश
अ0जा0/ज0जा (अ0नि0) प्रकरण, टोंक

निर्णय आज दिनांक 27.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं मुद्रांकित किया गया।

विशिष्ट न्यायाधीश
अ0जा0/ज0जा (अ0नि0) प्रकरण, टोंक